



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271514
CG-DL-E-02042026-271514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1633]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1633]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1698(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH160A के कि.मी. 53.5 से कि.मी.105.47 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), वै.ज.प्र., नाशिक को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में NH160A के कि.मी. 53.5 से कि.मी.105.47 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: त्रिम्बकेश्वर					
गांव का नाम: पेगलवाडी (त्र्यंबक)					
1	1	निजी	कृषी	0.77 (हेक्टेयर)	0.77
2	10	निजी	कृषी	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
3	11	निजी	कृषी	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
4	12	निजी	कृषी	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
5	127	निजी	कृषी	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
6	14	निजी	कृषी	0.106 (हेक्टेयर)	0.106
7	15	निजी	कृषी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
8	16	निजी	कृषी	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
9	18	निजी	कृषी	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
10	19	निजी	कृषी	0.18 (हेक्टेयर)	0.18
11	2	निजी	कृषी	0.142 (हेक्टेयर)	0.142
12	20	निजी	कृषी	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
13	26	निजी	कृषी	0.116 (हेक्टेयर)	0.116
14	27	निजी	कृषी	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
15	28	निजी	कृषी	0.091 (हेक्टेयर)	0.091
16	29	निजी	कृषी/ गैरकृषी	0.464 (हेक्टेयर)	0.464
17	30	निजी	कृषी	0.139 (हेक्टेयर)	0.139
18	31	निजी	कृषी	0.163 (हेक्टेयर)	0.163
19	32	निजी	कृषी	0.232 (हेक्टेयर)	0.232
20	33	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
गांव का नाम: पेगलवाडी (नासिक)					
21	107	निजी	कृषी	0.433 (हेक्टेयर)	0.433
22	17	सरकारी	वन	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
23	18	सरकारी	वन	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
24	19	सरकारी	वन	0.188 (हेक्टेयर)	0.188
25	20	सरकारी	वन	0.192 (हेक्टेयर)	0.192
26	24	निजी	कृषी	0.111 (हेक्टेयर)	0.111
27	25	निजी	कृषी	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
28	26	निजी	कृषी	0.032 (हेक्टेयर)	0.032

29	27	निजी	कृषी	0.071 (हेक्टेयर)	0.071
30	28	निजी	कृषी	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
31	30	निजी	कृषी	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
32	31	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
33	32	निजी	कृषी	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
34	33	निजी	कृषी	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
35	34	निजी	कृषी	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
36	35	निजी	कृषी	0.112 (हेक्टेयर)	0.112
37	36	निजी	कृषी	0.088 (हेक्टेयर)	0.088
38	56	निजी	कृषी	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
39	75	निजी	कृषी	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
40	77	सरकारी	वन	0.165 (हेक्टेयर)	0.165
41	78	सरकारी	वन	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
42	79	सरकारी	वन	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
43	83	निजी	कृषी	0.179 (हेक्टेयर)	0.179
44	84	निजी	कृषी	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
45	85	निजी	कृषी	0.176 (हेक्टेयर)	0.176
46	86	निजी	कृषी	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
47	88	निजी	कृषी	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
48	91	निजी	कृषी	0.106 (हेक्टेयर)	0.106
Total					5.326

[फा. सं. RO/MUM/Nashik-Kumbh-2027/2025-26/241/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1698(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH160A in the stretch of land from Km. 53.5 to Km. 105.47 in the district of Nashik in the state of maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, S. L. A. O. V. H. E. Project, Nashik in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH160A in the stretch of land from Km. 53.5 to Km. 105.47 in the district of Nashik in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Trimbakeshwar					
Village: Pegalwadi (Trimbak)					
1	1	Private	AGRICULTURE	0.77 (Hectare)	0.77
2	10	Private	AGRICULTURE	0.051 (Hectare)	0.051
3	11	Private	AGRICULTURE	0.1 (Hectare)	0.1
4	12	Private	AGRICULTURE	0.08 (Hectare)	0.08
5	127	Private	AGRICULTURE	0.013 (Hectare)	0.013
6	14	Private	AGRICULTURE	0.106 (Hectare)	0.106
7	15	Private	AGRICULTURE	0.02 (Hectare)	0.02
8	16	Private	AGRICULTURE	0.027 (Hectare)	0.027
9	18	Private	AGRICULTURE	0.012 (Hectare)	0.012
10	19	Private	AGRICULTURE	0.18 (Hectare)	0.18
11	2	Private	AGRICULTURE	0.142 (Hectare)	0.142
12	20	Private	AGRICULTURE	0.073 (Hectare)	0.073
13	26	Private	AGRICULTURE	0.116 (Hectare)	0.116
14	27	Private	AGRICULTURE	0.002 (Hectare)	0.002
15	28	Private	AGRICULTURE	0.091 (Hectare)	0.091
16	29	Private	AGRICULTURE/ NON AGRICULTURE	0.464 (Hectare)	0.464
17	30	Private	AGRICULTURE	0.139 (Hectare)	0.139
18	31	Private	AGRICULTURE	0.163 (Hectare)	0.163
19	32	Private	AGRICULTURE	0.232 (Hectare)	0.232
20	33	Private	AGRICULTURE	0.03 (Hectare)	0.03
Village: Pegalwadi (Nashik)					
21	107	Private	AGRICULTURE	0.433 (Hectare)	0.433
22	17	Government	FOREST	0.063 (Hectare)	0.063

23	18	Government	FOREST	0.061 (Hectare)	0.061
24	19	Government	FOREST	0.188 (Hectare)	0.188
25	20	Government	FOREST	0.192 (Hectare)	0.192
26	24	Private	AGRICULTURE	0.111 (Hectare)	0.111
27	25	Private	AGRICULTURE	0.01 (Hectare)	0.01
28	26	Private	AGRICULTURE	0.032 (Hectare)	0.032
29	27	Private	AGRICULTURE	0.071 (Hectare)	0.071
30	28	Private	AGRICULTURE	0.031 (Hectare)	0.031
31	30	Private	AGRICULTURE	0.064 (Hectare)	0.064
32	31	Private	AGRICULTURE	0.03 (Hectare)	0.03
33	32	Private	AGRICULTURE	0.027 (Hectare)	0.027
34	33	Private	AGRICULTURE	0.03 (Hectare)	0.03
35	34	Private	AGRICULTURE	0.02 (Hectare)	0.02
36	35	Private	AGRICULTURE	0.112 (Hectare)	0.112
37	36	Private	AGRICULTURE	0.088 (Hectare)	0.088
38	56	Private	AGRICULTURE	0.051 (Hectare)	0.051
39	75	Private	AGRICULTURE	0.016 (Hectare)	0.016
40	77	Government	FOREST	0.165 (Hectare)	0.165
41	78	Government	FOREST	0.012 (Hectare)	0.012
42	79	Government	FOREST	0.018 (Hectare)	0.018
43	83	Private	AGRICULTURE	0.179 (Hectare)	0.179
44	84	Private	AGRICULTURE	0.007 (Hectare)	0.007
45	85	Private	AGRICULTURE	0.176 (Hectare)	0.176
46	86	Private	AGRICULTURE	0.21 (Hectare)	0.21
47	88	Private	AGRICULTURE	0.012 (Hectare)	0.012
48	91	Private	AGRICULTURE	0.106 (Hectare)	0.106
Total					5.326

[F. No. RO/MUM/Nashik-Kumbh-2027/2025-26/241/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director